बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02 / 2015 2729(S) पटना, दिनांक 16/04/2026

श्री शरदेन्दु भूषण, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति मामले में विशेष निगरानी ईकाई, पटना द्वारा दायर निगरानी थाना कांड संख्या–01 / 2015, दिनांक 30.06.2015 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–7132, दिनांक 03.08.2015 के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा अनुशासनिक कार्रवाई के तहत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9629 (एस) अनु०, दिनांक 09.10.2015 के द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री भूषण से लिखित अभ्यावेदन / निवेदन प्राप्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–8643 (एस), दिनांक 20.11.2018 के द्वारा उनके विरूद्ध **"तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त"** का दण्ड अधिरोपित किया गया। कालांतर में उक्त दण्ड के विरूद्ध उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को भी समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–1065 (एस) दिनांक 29.01.2019 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

2. श्री भूषण के द्वारा उक्त दण्डादेश एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No-12763/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 07.10.2024 को पारित न्यायादेश एवं विभाग द्वारा दायर LPA No-186/2025 में दिनांक 14.05.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में संसूचित बर्खास्तगी के दण्ड तथा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश को विभागीय अधिसूचना संख्या–8249 (एस) दिनांक 26.09.2025 के द्वारा निरस्त किया गया। उक्त अधिसूचना की कंडिका–10 में यह निर्णय लिया गया कि श्री भूषण की सेवा पुनर्स्थापित हो जाने के पश्चात LPA No-186/2025 में दिनांक 14.05.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 में विहित प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध नये सिरे से अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी, तद्नुसार उनके देय अनुवर्त्ती लाभों पर निर्णय लिया जायेगा।

3. उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आधार पर श्री भूषण के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1211 (एस) दिनांक 10.02.2026 के द्वारा आलोच्य मामले में निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के उल्लंघन संबंधी आरोपों के लिए मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन किया गया है। साथ ही **"श्री भूषण की बर्खास्तगी से उनके सेवा पुनर्स्थापन अवधि का विनियमन स्वरूप क्या होगा तथा उनको बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (5) के तहत पुनः निलंबित किया जाना क्या यथोचित होगा?"** के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। श्री भूषण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (5) के तहत पुनः निलंबित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श निम्नवत है :–

"In the present case, the petitioner was dismissed from service and dismissal has been set aside by the Hon'ble court with liberty to hold enquiry, the petitioner shall be deemed to have been placed under suspension from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall

क्र०पृ०उ०

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh

(12) आई०टी० मैनेजर

continue to remain under suspension until further orders and there is no requirement of passing fresh order of suspension, however a recital to that effect may be issued reiterating the status of his suspension."

4. उपर्युक्त तथ्यों एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये जाते है :–

(i) श्री भूषण बर्खास्तगी की तिथि 20.11.2018 से लगातार अगले आदेश तक निलंबित माने जायेंगे। इस निलंबन अवधि में उनको बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 में विहित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ii) श्री भूषण के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के फलाफल के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

(iii) निलंबन अवधि में श्री भूषण का मुख्यालय, पूर्व निर्धारित मुख्यालय–अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना होगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02/2015 पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०वै०दा०नि० को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02/2015 पटना, दिनांक..................................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02/2015 पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालन्दा/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री शरदेन्दु भूषण, निलंबित सहायक अभियंता, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख (मु०) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पता–फ्लैट नं०–C-503, Badri Nath Tower, Vivek Vihar Colony, East Gola Road, Patna-801503** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02/2015 पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) वि०नि०ई०–02/2015 2730(S) पटना, दिनांक 16/04/2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/4/16
सरकार के विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।